राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
मुख्यालय,4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

कमांक:एफ.11(599)/राप्रनिम/के.प्रयो./304-356 दिनांक: 09/06/2020

कार्यालय –आदेश

राज्य मंडल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवम PAC Para(s) के क्रम में यह प्रदर्शित होता हैं कि राज्य मंडल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से निर्धारित आवृति अनुरूप नमूना एकत्रीकरण/मोनिटरिंग नहीं की जा रही हैं जिसे राज्यमंडल द्वारा गंभीरता से लिया गया हैं। उल्लेखनीय हैं की राज्य में जल/वायु/ध्वनि प्रदूषण की स्थिति, उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता /पर्याप्तता एवम प्रदूषण की स्थिति, परिवेशी वायु गुणवत्ता, जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता, OCEMS के प्रति सत्यापन (क्रॉस–वेरिफिकेशन) ,बेसलाइन डाटा/आवश्यक सूचना रिपोर्ट तैयार करने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय, MoEF&CC,CPCB,DOEnv.Raj इत्यादि में लंबित प्रकरणों में अनुपालना रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्धारित आवृति के अनुरूप नमूना एकत्रीकरण /मोनिटरिंग नितांत आवश्यक हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए एतद द्वारा राज्य मंडल के क्षेत्रीय अधिकारीयों /क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि :–

1. क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित इकांइयों की श्रेणीवार सैंपलिंग एवम मोनिटरिंग की इन्वेंटरी बनाना /नियमित अद्यतन (update)करना तथा राज्य मंडल ऑपरेटिंग मैन्युअल द्वारा वर्तमान में निर्धारित मोनिटरिंग शेड्यूल/फ्रीक्वेंसी अनुसार नमूना एकत्रीकरण /मोनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें एवम मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह दिनाक 5 से पूर्व मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी को प्रेषित करें।
2. प्रत्येक क्षेत्रीय प्रयोगशाला एकत्रित नमूनों के विश्लेषण उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार स्थित कॉमन फैसिलिटी, CETP/STP, 17 श्रेणी अति प्रदूषणकारी /वृहद् प्रदूषणकारी (GPI),खनन लीज (50 हेक्टेयर से अधिक), चिन्हित माइनिंग क्लस्टर/ ईको सेंसेटीव् जोन/अभयारण्य (पक्षी/ वन्यजीव/बाघ)/राष्ट्रीयपार्क/ वेटलैंड, जिलास्तरीय नमूने (भूजल, सरफेस वाटर, एम्बिएंट एयर एवम नोइज मोनिटरिंग) इत्यादि के अपडेटेड तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिवेदन (एम. एस. एक्सेल. सॉफ्ट कॉपी एवम प्रमाणित हार्ड कॉपी में) वर्ष में दों बार 31 अक्टूबर एवम 31 मार्च को मय वार्षिक प्रयोगशाला प्रतिवेदन के केंद्रीय प्रयोगशाला को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. **उल्लेखनीय हैं की निर्धारित मोनिटरिंग शेड्यूल/फ्रीक्वेंसी अनुसार नमूना एकत्रीकरण/मोनिटरिंग नहीं किये जाने पर इस आशय की प्रविष्टी सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में की जा सकती हैं।**

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. विजय सिंहल)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा. प्र. नि. मं.,जयपुर ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा. प्र. नि. मं.,जयपुर ।
3. मुख्य पर्यावरण अभियंता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी /मुख्य लेखा अधिकारी, रा. प्र. नि. मं., जयपुर ।
4. समस्त शाखा प्रभारी,(शाखा–)रा. प्र. नि. मं., जयपुर ।
5. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. मं., अलवर, जोधपुर,कोटा,उदयपुर, भिवाडी,बालोतरा, भरतपुर, भीलवाडा बीकानेर, चित्तोड़गढ़, जयपुर (उत्तर),जयपुर(दक्षिण),किशनगढ़, पाली, सीकर ।
6. समस्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी, रा.प्र.नि. मं.,अलवर, जोधपुर, कोटा,उदयपुर, भिवाडी,बालोतरा, भरतपुर, भीलवाडा बीकानेर, चित्तोड़गढ़, जयपुर (उत्तर),जयपुर(दक्षिण),किशनगढ़, पाली, सीकर ।
7. मूल पत्रावली ।

~~मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी~~
सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner